संख्या- 108 /2022/ 491/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में नवनिर्मित भवन की वीथिकाओं में उ0प्र0 की संरचना, स्वतंत्रता आन्दोलन में उ0प्र0 का योगदान तथा उ0प्र0 की कला एवं संस्कृति सम्बन्धी स्थायी प्रदर्शनी तैयार किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार का पत्र संख्या-1273/नौ-154/2021-22 दिनांक 29 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में नवनिर्मित भवन की वीथिकाओं में उ0प्र0 की संरचना, स्वतंत्रता आन्दोलन में उ0प्र0 का योगदान तथा उ0प्र0 की कला एवं संस्कृति सम्बन्धी स्थायी प्रदर्शनी तैयार किये जाने हेतु रू0 17545920-00 **(**रू0 एक करोड़ पचहत्तर लाख पैंतालिस हजार नौ सौ बीस मात्र) की प्रशासनिक एवं धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त धनराशि का उपयोग विभागीय एवं तकनीकी समिति का गठन करते हुए विभागीय टेण्डर के माध्यम से नियमानुसार सक्षम स्तर से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार /संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार /संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा संस्कृति निदेशालय के अनुरोध पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी -चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 108 /2022/ 491 (1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ
5- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।